कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

संविधानके मूलभूत प्रावधानः संक्षिप्त चिन्हारी

१. नेपालके संविधानमे आत्मसात करल मूल्य, मान्यता आर सिद्धान्त

- नेपालके स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता आर स्वाभिमानक्या अक्षुण्ण राखना ।
- जनताके सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता आर स्वशासनके अधिकारक्या आत्मसात करना ।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र आर अग्रगामी परिवर्तनको लग्ना भेल ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग आर बलिदानके स्मरण करतहै शहीद हे बेपत्ता आर पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताक्या आत्मसात करतहै विविधताबीचके एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता आर सद्भावके संरक्षण एवं प्रवर्द्धन ।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद आर सभे प्रकारके जातीय छुवाछूतके खतम करिके आर्थिक समानता हे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेलग्ना समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण ।
- जनताके प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष आर सक्षम न्यायपालिका हे कानूनी राज्यके अवधारणामे आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहीके समृद्ध राष्ट्र निर्माण करेलग्ना प्रतिवद्धता ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाके माध्यमसे दिगो शान्ति, सुशासन, विकास आर समृद्धि करेके उद्देश्य ।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

- सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतासे जारी करल संविधान नेपालके मूल कानून हेते ।
- संविधानसे बाझल कानून बाझल हदतक अमान्य हेते ।
- संविधानके पालना करना प्रत्येक व्यक्तिके कर्तव्य हेते ।
- नेपालके सार्वभौमसत्ता आर राजकीयसत्ता नेपाली जनतामे निहित रहते ।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामे रहल समान आकांक्षा आर नेपालके राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहीके एकताके सूत्रमे आबद्ध राष्ट्रके रुपमे रहते ।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हेते ।
- नेपालमे बोलल जैवाला सभै मातृभाषासब राष्ट्रभाषाके रुपमे रहते ।
- देवनागरी लिपिमे लिखिल जैवाला नेपाली भाषा नेपालके सरकारी कामकाजके भाषा हेते ।
- नेपाली भाषाके अतिरिक्त प्रदेश आपन प्रदेशभितर बहुसंख्यक जनतासे बोलल जैवाला आन राष्ट्रभाषाके प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशके सरकारी कामकाजके भाषा निर्धारण करल ज्या साकते ।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- कुनु भी नेपाली नागरिक नागरिकता प्रापत करैवाला हकसे वञ्चित नय हेते ।

- प्रादेशिक पहिचान सहितके एकल संघीय नागरिकताके व्यवस्था करल जेते ।
- संविधान प्रारम्भ हेल बखत नेपालके नागरिकता प्रापत करल व्यक्ति नेपालके नागरिक हेते ।
- वंशजके आधारमे नेपालके नागरिकता प्रापत करैवाला व्यक्ति निजके पिता या माताके नामसे लैङ्गिक पहिचान सहितके नागरिकताके प्रमाणपत्र पैते ।
- नागरिकके परिचय खुलैके हिसाबसे अभिलेख राखल जेते ।
- नेपाली नागरिकताके प्रापत हैवाला अवस्था :-

१. वंशज

- संविधान प्रारम्भ हेसे पहिना वंशजके नागरिकता प्राप्त करल व्यक्ति,
- जन्म हैबखत कुनु व्यक्तिके बाप वा म्या नेपालके नागरिक रहल अवस्थामे वोन व्यक्ति,
- संविधान प्रारम्भ हैसे पहिना बाप आर म्या दुवोझन जनमके आधारमे नेपालके नागरिकता प्रापत करलके सन्तान बालिग हेलाके वाद,
- नेपालभितर फेला परल पितृत्व आर मातृत्वके ठेगान नय हेल नाबालक निजके बाप वा म्या फेला नय परैतक,
- नेपालके नागरिक म्यासे नेपालमे जन्मभ्याके नेपालमे हीं बसोबास करले आर बापके पहिचान नय हेल व्यक्ति,

  मगर बाप विदेशी नागरिक ठहरलापर संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामे परिणत हेते,
- विदेशी नागरिकसे विवाह करल नेपाली महिला नागरिकसे जनमभेल, निज नेपालमे हीं स्थायी बसोबास करिरहल निज विदेशी मुलुकके नागरिकता प्रापत नय करलापर र नागरिकता प्रापत करैके बखत निजके म्या आर बाप दुवो नेपाली नागरिक छेझन त नेपालमे जन्मल वोन व्यक्ति ।

२. अंगिकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रापत करे साकते ।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

- नेपाली नागरिकसे वैवाहिक सम्बन्ध कायम करलाह विदेशी महिला संघीय कानून बमोजिम,
- विदेशी नागरिकसे विवाह करल नेपाली नागरिकसे जन्मल, नेपालमे हीं स्थायी बसोवास करिरहल आर विदेशी नागरिकता प्रापत नय करलाह व्यक्ति संघीय कानून बमोजिम

  मगर नागरिकता प्रापत करैके बखत म्या आर बाप दुवो नेपाली नागरिक रहलापर वंशजके आधारमे नेपाली नागरिकता प्रापत करना ।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

- संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान करल ज्यासाकते ।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

- विदेशी मुलुकके नागरिकता प्रापत करल, सार्क बाहेकके मुलुकमे बसोबास करल, साविकमे वंशज वा जन्मके आधारमे निज वा निजके बाप वा म्या, दादा वा दादी नेपालके नागरिक रहैके वाद विदेशी नागरिकता प्रापत करलाह व्यक्ति
- संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक आर सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करैला पैते

५. नेपालमे गाभल क्षेत्रमे बसोबास करैवाला व्यक्तिके नागरिकता

- नेपालभितर गाभल जैवाला कुन क्षेत्र प्रापत हेलापर वोन क्षेत्रभितर बसोबास करैवाला व्यक्ति संघीय कानूनके अधीनमे रहीके नेपालके नागरिक हेते ।

४. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपालके संविधान सभेके लागिन सम्मानपूर्वक बाचैपावैके हक, स्वतन्त्रताके हक, समानताके हक, सञ्चारके हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितके हक, यातना विरुद्धके हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धके हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धके हक, सम्पत्तिके हक, धार्मिक स्वतन्त्रताके हक, सूचनाके हक, गोपनीयताके हक, शोषण विरुद्धके हक, स्वच्छ वातावरणके हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिके हक, रोजगारीके हक, श्रमके हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासके हक, महिलाके हक, बालबालिकाके हक, दलितके हक, ज्येष्ठ नागरिकके हक, सामाजिक न्यायके हक, सामाजिक सुरक्षाके हक, उपभोक्ताके हक, देश निकाला विरुद्धके हक, संवैधानिक उपचारके हकक्या मौलिक हकके रुपमे स्थापित करल गेल छे । साथै, संवैधानिक निकायके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था करल गेल छे ।
येकर अतिरिक्त, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भेल व्यक्ति, थारु आर मुस्लिमके सम्बन्धमे आर अधिकार देहाय बमोजिम रहल छे:

४.१ महिलाके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना
- लैंगिक विभेद अन्त्य करना ।
- म्याके नामसे नागरिकता प्राप्त करल ज्यासकते लगायतके नागरिकता सम्बन्धी विषय उपर नागरिकताके शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख करल बमोजिम होना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग या आर कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक आर सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल महिला लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- महिलाक्या लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक होना ।
- महिलाक्या सुरक्षित मातृत्व आर प्रजनन स्वास्थ्यके हक होना ।
- महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन या आर कुनु आधारमे शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक या आर कुनु किसिमके हिंसाजन्य कार्य या शोषण नय करल जेते आर येन कार्य दण्डनीय हेते तथा पीडित क्षतिपूर्ति पैते ।
- राज्यके सभे निकायमे महिलाके समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सहभागीता रहते ।
- महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आर सामाजिक सुरक्षामे सकारात्मक विभेदके आधारमे विशेष अवसर प्राप्त करते ।
- सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामे दम्पतीके समान हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि पारल महिला, समेत समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हैला पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- आर्थिक रूपसे विपन्न, अशक्त आर असहाय अवस्थामे रहल, असहाय एकल महिला समेत सामाजिक सुरक्षा पावैके हक हेते ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारके मूल्य आर मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करैके राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- असहाय अवस्थामे रहल एकल महिलाक्या सीप, क्षमता आर योग्यताके आधारमे रोजगारीमे प्राथमिकता देतैह जीविकोपार्जनके लागिन समुचित व्यवस करते ।
- जोखिममे परल, सामाजिक आर पारिवारिक बहिष्करणमे परल तथा हिंसा पीडित महिलाक्या पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण करीके स्वावलम्बी बनाना ।
- प्रजनन अवस्थामे आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगके सुनिश्चितता करना ।
- बालबच्चाके पालन पोषण, परिवारके हेरचाह जोखा काम आर योगदानक्या आर्थिक रूपमे मूल्यांकन करना ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीसवके पहिचान करीकया बसोबासके लागिन घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करीके पुनःस्थापना करना ।
- आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना ।

- राज्यके संरचना करैखिना समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आर पहिचानके संरक्षण करना ।
- राष्ट्रपति आर उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदायके हेते ।
- प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनमे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीके लागिन उम्मेदवारी देवेखिना महिलाक्या समेत समावेश करीके बन्दसूची तयार करना ।
- संघीय संसद आर प्रदेश सभामे निर्वाचित भेल कुल सदस्यके कम्तीमे एक तिहाइ महिला सदस्य हैके हिसावसे सुनिश्चित करल गेल छे ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे तीन झन महिला निर्वाचित हेते आर मनोनीत करैखिना कम्तीमे एक झन महिला समावेश करे पडते ।
- प्रतिनिधि सभाके सभामुख आर उपसभामुखमध्ये एक झन आर राष्ट्रिय सभाके अध्यक्ष आर उपाध्यक्षमध्ये एक झन महिला हेते ।
- प्रदेश सभामुख या प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक झन महिला हेते ।
- गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामे चार झन महिला सदस्य रहते ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे कम्तीमे तीनझन महिला रहते ।
- गाउँपालिका आर नगरपालिकाके प्रत्येक वडासे कम्तीमे दुईझन महिलाके प्रतिनिधित्व हैके हिसावसे गाउँसभा आर नगरसभाके गठन हेते ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायके रुपमे रहते आर वोकर अध्यक्ष आर सदस्यसब महिला मात्र रहते ।
- राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करल ज्या साकते ।
- नेपाली सेनामे महिलाके समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक निकाय आर आन निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.२ दलितके अधिकार सम्बन्धमे

- सभे प्रकारके जातीय छुवाछूतके अन्त्य करना ।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैवाला राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल महिला, दलित, लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लग्ना कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- कुनु व्यक्तिक्या उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय या शारीरिक अवस्थाके आधारमे कुनु निजी तथा सार्वजनिक स्थानमे कुनु प्रकारके छुवाछूत या भेदभाव नय करल जेते ।
- कुनु वस्तु, सेवा या सुविधा उत्पादन या वितरण करैखिना वोन वस्तु, सेवा या सुविधा कुनु खास जात या जातिके व्यक्तिक्या खरीद या प्राप्त करैसे रोक लगैल जेते या वोन वस्तु, सेवा या सुविधा कुनु खास जात या जातिके व्यक्तिक्या मात्र बिक्री वितरण या प्रदान नय करल जेते ।
- उत्पत्ति, जात, जाति या शारीरिक अवस्थाके आधारमे कुनु व्यक्ति या समुदायक्या उच्च या नीच दर्शावेवाला, जात, जाति या छुवाछूतके आधारमे सामाजिक भेदभावक्या न्यायोचित ठानैवाला या छुवाछूत तथा जातीय उच्चता या घृणामे आधारित विचारके प्रचार प्रसार करना या जातीय विभेदक्या कुनु किसिमसे प्रोत्साहन करैला नय पैते ।
- जातीय आधारमे छुवाछूत करीके या नय करीके कार्यस्थलमे कुनु प्रकारके भेदभाव करैला नय पैते ।
- सभै प्रकारके छुवाछूत तथा भेदभाव जान कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधके रूपमे दण्डनीय हेते आर पीडित क्षतिपूर्ति पैते ।
- दलित राज्यके सभै निकायमे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सहभागी हैला पैते ।
- दलित समुदाय आपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप आर प्रविधिके प्रयोग, संरक्षण आर विकास करैला पैते ।
- सार्वजनिक सेवा लगायतके रोजगारीके आन क्षेत्रमे दलित समुदायके सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व आर सहभागिताको लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- दलित विद्यार्थीक्या प्राथमिकसे उच्च शिक्षातक छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाके व्यवस्था करल जेते ।

- प्राविधिक आर व्यावसायिक उच्च शिक्षामे दलितके लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- दलित समुदायक्या स्वास्थ्य आर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेला विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- दलित समुदायके परम्परागत पेशासे सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमे उसवक्या प्राथमिकता देतैह वोकर लागिन आवश्यक परेवाला सीप आर स्रोत उपलब्ध करैल जेते ।
- भूमिहीन दलितक्या एकदाफ जमीन उपलब्ध करैल जेते आर आवासविहीन दलितक्या बसोबासके व्यवस्था करल जेते ।
- दलित समुदायक्या प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष आर सभै समुदायके दलित समानुपातिक रूपमे पावैके हिसावसे न्यायोचित वितरण करल जेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल महिला, दलित समेत समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागि हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारके नाममे हावैवाला सभै प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण आर अन्यायके अन्त्य करना ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीसवके पहिचान करीके बसोबासके लागिन घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करीके पुनःस्थापना करना ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभित्रके आर्थिक रूपसे विपन्नक्र्या प्राथमिकता प्रदान करना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दल उम्मेदवारी देवैखिना समावेशी सिद्धान्तके आधारमा करना ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक झन दलित निर्वाचित करैला पडते ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे गाउँ सभाद्वारा निर्वाचित हेल दुईझन सदस्य रहते ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभाद्वारा निर्वाचित हेल तीनझन सदस्य रहते ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे दलित या अल्पसंख्यकसे जिल्ला सभाद्वारा निर्वाचित हेल कम्तीमे एक झन सदस्य रहते ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायके रुपमे रहते आर तकर अध्यक्ष आर सदस्यसव दलित मात्र रहते ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करैला सकते ।
- नेपाली सेनामे दलित समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.३ मधेशीके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैवाला राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल मधेशी लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पावैके आर वोकर लागिन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलैके आर सञ्चालन करैके हक हेते ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आर सम्पदाके संवर्धन आर संरक्षण करैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि पडल मधेशी समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।

- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारके नाममे हावैवाला सभै प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण आर अन्यायके अन्त्य करना ।
- मधेशीक्या आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आर लाभके समान वितरण तथा वोन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आर विकासके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीसवके पहिचान करीके बसोबासके लागिन घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करिके पुनःस्थापना करना ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभितरके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दल उम्मेदवारी दैवेखिना समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे नेपालमे एक मधेशी आयोग रहते ।
- नेपाली सेनामे मधेशी समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.४ आदिवासी जनजातिके अधिकार सम्बन्धमे

- समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- जातिय, क्षेत्रीय आर भाषिक विभेदके अन्त्य करना ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते,
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पावैके आर वोकर लागिन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलेके आर सञ्चालन करैके हक हेते ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आर सम्पदाके संवर्द्धन आर संरक्षण करैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- राष्ट्रिय सम्पदाके रूपमे रहल कला, साहित्य आर सङ्गीतके विकासमे जोड देना,
- समाजमे विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारके नाममे हावैवाला सभै प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण आर अन्यायके अन्त्य करना ।
- देशके सांस्कृतिक विविधता कायम राख्तहै समानता एवं सहअस्तित्वके आधारमे विभिन्न जातजाति आर समुदायके भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र आर सम्पदाके संरक्षण आर विकास करना ।
- आदिवासी जनजातिके पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँचे पावैके अधिकार सुनिश्चित करैला अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- आदिवासी जनजातिसँगे सरोकार राखेवाला निर्णयसवमे सहभागी कराना ।
- आदिवासी जनजाति आर स्थानीय समुदायके परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवके संरक्षण आर संवर्द्धन करना ।
- राज्यके संरचना करैखिना समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आर पहिचानके संरक्षण करना ।
- राष्ट्रपति आर उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदायके हेते ।

- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी देवैखिना समावेशी आधारमे करना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे नेपालमे एक आदिवासी जनजाति आयोग रहते ।
- नेपाली सेनामे आदिवासी जनजाति समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.५ पिछडा वर्गके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल पिछडा वर्ग लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल पिछडा वर्ग समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी है पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आर लाभके समान वितरण तथा वोन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आर विकासके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभितरके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनको लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी दैवेबखत समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करना ।
- पिछडा वर्ग समेतके हक अधिकारके संरक्षणके लागिन संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली सेनामे पिछडा वर्ग समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.६ सीमान्तीकृत समुदायके अधिकार सम्बन्धमे

- राजनीतिक, आर्थिक आर सामाजिक रूपसे पछाडि पारल, विभेद आर उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताके कारणसे सेवा सुविधाके उपभोग करैला नय साकेवाला या मानव विकासके स्तरसे न्यून स्थितिमे रहल समुदायक्या सीमान्तीकृत समुदायके रुपमे परिभाषा करल गेल छे ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडिपारल सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल सीमान्तीकृत समुदाय समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावै पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।

- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभितरके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी दैवेखिना समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करना ।
- सीमान्तीकृत समुदाय समेतके हक अधिकारके संरक्षण करैला संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.७ अल्पसंख्यक समुदायके अधिकार सम्बन्धमे

- निर्धारित प्रतिशतसे कम जनसंख्या रहल जातीय, भाषिक आर धार्मिक समूहक्या अल्पसंख्यकके रुपमे परिभाषा करल गेल छे ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछाडिपरल अल्पसंख्यक लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल अल्पसंख्यक समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हैला पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- आपन पहिचान कायम राखीके सामाजिक आर सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सभै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभित्रके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करल जेते ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक झन अपांगता हेल व्यक्ति या अल्पसंख्यक निर्वाचित हैकेबात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी देवैखिना समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करना ।
- गाउँ कार्यपालिकामे दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे गाउँ सभासे निर्वाचित करल दुईझन सदस्य हैकेबात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- नगर कार्यपालिकामे दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभाद्वारा निर्वाचित करल तीनझन सदस्य हैकेबात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- जिल्ला समन्वय समितिमे दलित या अल्पसंख्यकसे जिल्ला सभाद्वारा निर्वाचित करल कम्तीमे एक झन सदस्य हैकेबात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- अल्पसंख्यक समुदाय समेतके हक अधिकारके संरक्षण करैला संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था छे ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।

४.८ थारुके अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य करना ।
- समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।

- मौलिक हक तथा मानव अधिकारके मूल्य आर मान्यता सुनिश्चित करना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र, वैचारिक आस्था या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल थारू लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पावैके हे वोकर लागिन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलैके आर सञ्चालन करैके हक हेते ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आर सम्पदाके संवर्द्धन आर संरक्षण करैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल थारु समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीसबके पहिचान करीके बसोबासके लागिन घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करतहै पुनःस्थापना करल जेते ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे एक थारु आयोगके व्यवस्था करल गेल छे ।
- राज्यके संरचना करैखिना समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आर पहिचानके संरक्षण करना ।
- राष्ट्रपति आर उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदायके हेते ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी देवैखिना समावेशी आधारमे करना ।
- संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था करल गेल छे ।
- नेपाली सेनामे थारु समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- जनसंख्याके घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातके सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षक्या समेत ध्यान राख्तहै कार्य करैके लागिन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हेते ।

४.९ मुस्लिमके अधिकार सम्बन्धमे

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य करना ।
- समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारके मूल्य आर मान्यता सुनिश्चित करना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र, वैचारिक आस्था या आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल मुस्लिम लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या कानून बमोजिम आपन मातृभाषामे शिक्षा पावैके आर वोकर लागिन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलैके हे सञ्चालन करैके हक हेते ।
- नेपालमे बसोबास करैवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता आर सम्पदाके संवर्द्धन आर संरक्षण करैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल मुस्लिम समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- मुस्लिम समुदाय समेतक्या आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आर लाभके समान वितरण तथा वोन समुदायभित्रके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आर विकासके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना ।
- संवैधानिक निकायके रुपमे एक मुस्लिम आयोग रहते ।

- राज्यके संरचना करैखिना समानतामे आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व आर पहिचानके संरक्षण करना ।
- राष्ट्रपति आर उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदायके हेते ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावेवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दलसे उम्मेदवारी देवेबखत समावेशी आधारमे करना ।
- नेपाली सेनामे मुस्लिम समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- जनसंख्याके घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातके सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षक्या समेत ध्यान राख्तहै कार्य करैके लागिन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हेते ।

४.१० अपांगता हेल व्यक्तिके अधिकार सम्बन्धमे

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते ।
- आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना ।
- सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करैखिना सबै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभित्रके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करैला राज्यके सामाजिक न्याय आर समावेशीकरण सम्बन्धी नीति हेते ।
- सामान्य कानूनके प्रयोगमे शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, या येन्हिये आन कुनु आधारमे भेदभाव नय करल जेते ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल, अपांगता हेल व्यक्ति, लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना ।
- अपांगता हेल आर आर्थिक रूपसे विपन्न नागरिकर्क्या कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पावैके हक हेते ।
- दृष्टिविहीन नागरिकक्या ब्रेललिपि तथा बहिरा आर स्वर या बोलाइ सम्बन्धी अपांगता हेल नागरिकक्या सांकेतिक भाषाके माध्यमसे कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पावैके हक हेते ।
- सामाजिक रूपसे पछाडि परल अपांगता हेल व्यक्ति समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते ।
- अपांगता हेल नागरिकक्या विविधताके पहिचान सहित मर्यादा आर आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करैला पावैके आर सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामे समान पहुँचके हक हेते ।
- आर्थिक रूपसे विपन्न, अशक्त आर असहाय अवस्थामे रहल, अपांगता हेल नागरिकक्या सामाजिक सुरक्षाके हक हेते ।
- राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे एक झन अपांगता हेल व्यक्ति या अल्पसंख्यक निर्वाचित हावैके बात सुनिश्चित करल गेल छे ।
- अपांगता हेल व्यक्ति समेतके हक अधिकारके संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास आर सम्वृद्धिके लागिन संवैधानिक आयोगके रुपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था करल गेल छे ।
- नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।
- संवैधानिक अंग आर निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते ।